In the Court of Sri Umesh Rai,
District & Additional Sessions Judge-10,
Rohtas at Sasaram
A.B.P. No. :– 588/2026

न्यायालय, श्री उमेश राय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, सासाराम, रोहतास।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :– 588/2026
उत्पन्न– बड्डी थाना कांड संख्या :– 02/2026

1. शम्भु बिन्द, उम्र लगभग 40 वर्ष
2. अरूण बिन्द उर्फ अरूण कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, दोनों पिता– प्रहलाद बिन्द
3. गुड्डू बिन्द उर्फ गुड्डू कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता– चंद्रमा बिन्द
4. हिरामुनी देवी, उम्र लगभग 33 वर्ष, पति– हीरालाल बिन्द
5. पीयरी देवी उर्फ सहोदरी देवी, उम्र लगभग 39 वर्ष, पति– शम्भु बिन्द

सभी निवासी ग्राम– कुशहर, थाना– बड्डी, जिला– रोहतास। .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी।

आ दे श

18.03.2026 उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण 1. शम्भु बिन्द, 2. अरूण बिन्द उर्फ अरूण कुमार, 3. गुड्डू बिन्द उर्फ गुड्डू कुमार, 4. हिरामुनी देवी, 5. पीयरी देवी उर्फ सहोदरी देवी के द्वारा बड्डी थाना कांड संख्या– 02/2026, अन्तर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(4), 117(2), 351(2), 352, 109 एवं 3(5) बी.एन.एस. में गिरफ्तारी के भय से बचने के लिये दाखिल किया गया है। आवेदन, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेशनाथ दुबे एवं बिहार सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजकिशोर विश्वकर्मा को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना।

सूचिका जीरा देवी के लिखित आवेदन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 01.01.2026 को समय करीब 7 बजे सूचिका अपने पति के साथ दरवाजे पर आग ताप रही थी तभी शम्भु बिन्द, अरूण बिन्द, अरविन्द बिन्द शराब के नशे में धक्का–मुक्की कर जबरन गाली–गलौज करने लगे तो बचाव करने सूचिका का पोता आया तो उसे देख अगरा बिन्द, चंदन बिन्द, गुड्डू बिन्द ने ताबड़तोड़ लाठी चलाने लगे जिससे चोटिल हो गया। देखकर सूचिका के ससुर की लड़की रिंकी कुंअर आई तो उसे भी डंडे से मारकर सिर फोड़ दिए। इतने में विपक्ष की महिला पिअरी देवी, हीरामुनी देवी, रमावती कुमारी, चरवती कुमारी ईंट–पत्थर चलाने लगी, ललकारने लगे की जान से मार दो।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जैसा आरोप लगाया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। वर्तमान मुकदमे का एक पलटा मुकदमा बड्डी थाना कांड संख्या 1/2026 दर्ज है जिसकी प्रति संलग्न है। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है, पलटा मुकदमा में भी सुलह कर लिया है। धारा 109 बी.एन.एस. आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं। आवेदकगण बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के लिए

तैयार है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदकगण अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला दोनों पक्षों के बीच मारपीट करने का है। उभयपक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है। अभिलेख पर सुलहनामा संलग्न है। उभयपक्षों ने न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमे में सुलह करने की बात को स्वीकार किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं घटना की प्रकृति को देखते हुये आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है और आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है विचारण न्यायालय में आदेश प्राप्ति तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर विचारण न्यायालय में उपस्थित हों और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदकगण को निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित होने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में आवेदकगण द्वारा मो0 10,000/– रूपये का बंध पत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभूओं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) में दिये गये शर्तो का पालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)
ह0/–
(उमेश राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10
सासाराम, रोहतास।
दिनांक :– 18.03.2026